(8) (52)

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2094

भवानीदीन पुत्र सेतु प्रसाद मिश्रा,
निवासी– वार्ड नं.15, महावीर कॉलोनी,
छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर
-- आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती अंजुम पत्नी साहिद खान, निवासी वेयर हाउस के पास, पन्ना रोड, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0
2– मुस. हरवी पुत्री भरोसा काछी,
3– गन्सी बेवा गोविन्दा काछी,
4– हरचरन पुत्र गोविन्दा काछी, निवासीगण नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर
5– श्रीमती देवरती पत्नी स्व0 रामकुमार सिंह,
6– कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 रामकुमार सिंह, निवासीगण – चौबे कॉलोनी, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर
-- अनावेदकगण

आज ... 05.7.17 को प्रस्तुत
5.7.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

8 05/07/17

**न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 85/अ–6/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 05.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

**मामले के संक्षिप्त तथ्य :**

1– यहकि, भूमि खसरा नं. 1871 स्थित बगोता पूर्व में श्रीमती हरवी अनावेदिका क्रमांक 2 के स्वामित्व व आधिपत्य की थी, जो उसने श्रीमती रामजानकी पुत्री हरचरन कुशवाह, निवासी छतरपुर को विक्रय कर दी थी और श्रीमती रामजानकी द्वारा आवेदक को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.06.2007 को विक्रय कर कब्जा दे दिया गया था। इस खसरा नम्बर में से 0.183 आरे भूमि आवेदक द्वारा क्रय कर अपना नामांतरण करा लिया गया था, जिस पर आवेदक आज भी काबिज है। पूर्व में श्रीमती हरवी द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ–6अ/2006–07 तहसीलदार छतरपुर के न्यायालय में दुरूस्ती अभिलेख हेतु धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन दिया, जिसे दिनांक 19.01.2007 को तहसीलदार छतरपुर द्वारा स्वीकार किया गया।

अनुसूचित आदेश पृष्ठ .....

प्रकरण कमांक एक-निग/छतरपुर/भू.रा./2017/2094

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता |
|---|---|---|
| 4-10-17 | अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्र0क0 85 अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक 5-6-17 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।<br>2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 5-6-17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार छतरपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत हुआ, जिस पर से प्रकरण कमांक 38 अ-6-अ/06-07 पॅजीबद्ध करके आदेश दिनांक 19-1-07 से भूमि सर्वे नंबर 1971 के रकबे में हिस्सा 1/2 भाग पर महिला हरबी के नाम को यथावत रखते हुये हिस्सा 1/2 पर वर्तमान खातेदार का नाम दर्ज रखने के आदेश दिये गये। इस संबंध में अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 5-6-17 में इस प्रकार विवेचना की है-<br>" तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यवाही करते हुये वर्ष 13-11-80 में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण आदेश को संहिता की धारा 115, 116 के तहत सुधार करने का आदेश पारित किया गया है जिसके | |

लिखे वे संक्षम नहीं थे। पुर्नविलोकन के तहत कार्यवाही करने के पूर्व सक्षम अधिकारी से पुर्नविलोकन की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये थी जो उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई।"

तहसीलदार छतरपुर द्वारा त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्यवाही करना पाये के कारण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर में प्रकरण कमांक 122/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-5-08 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 19-1-07 निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर में प्रकरण कमांक 85 अ-6/ 08-09 में पारित आदेश दिनांक 5-6-17 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 122/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-5-08 में एंव अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 85 अ-6/ 08-09 में पारित आदेश दिनांक 5-6-17 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी प्रचलन-योग्य न होने से निरस्त। अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 85 अ-6/ 08-09 में पारित आदेश दिनांक 5-6-17 यथावत् रखा जाता है।

आदेश्य